MBTP/DY No - 887

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II,
Section 3, Sub-section (ii)]
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

Notification

New Delhi, the 23rd December,2014

S.O.----------(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Tamil Nadu Pollution Control Board', a body constituted by the Government of Tamil Nadu, in respect of the specified income arising to the said Board, namely:-

(a) consent fees;
(b) analysis fees or air ambient quality survey fees or noise level survey fees;
(c) vehicle emission monitoring test fees;
(d) reimbursement of the expense received from Central Pollution Control Board towards National Air Monitoring Programmes, Global Environment Monitoring System and Monitoring of Indian National Aquatic resources and like schemes;
(e) authorization fees;
(f) cess re-imbursement and cess appeal fees;
(g) fees received for processing by State Environment Impact Assessment Authority
(h) fees collected for training conducted by the Environmental Training Institute of the Board where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
(i) fees received under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);
(j) public hearing fees;
(k) sale of law books where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
(l) interest on loans and advances given to staff of the Board;
(m) miscellaneous income such as sale of old or scrap items, tenders fees and other matters relating thereto; and
(n) interest on deposits.

Ms Lekha

2. This notification shall be applicable for the specified income of the Tamil Nadu pollution Control Board for the assessment year 2014-15 to 2018-19.

3. The notification shall be subject to the following conditions, namely:-

(i) the Tamil Nadu Pollution Control Board shall not engage in any commercial activity;
(ii) the activities and the nature of the specified income of 'Tamil Nadu Pollution Control Board' remain unchanged throughout the financial year ; and
(iii) the Tamil Nadu Pollution Control Board files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

(Notification No. 84 /2014 F.No.196/26/2013-ITA.1)

Deepshikha

(Deepshikha Sharma)
Director to the Govt. of India

To
The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Press,
Near Rajouri Garden, New Delhi.

[भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

का.आ...............(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (तमिलनाडु पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड), तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, नामशः-

(क) सहमति शुल्क;

(ख) विश्लेषण शुल्क या परिवेशी वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण शुल्क या शोर स्तर सर्वेक्षण शुल्क;

(ग) वाहन निस्सरण मानीटरिंग परीक्षण शुल्क;

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त राष्ट्रीय वायु मानीटरिंग कार्यक्रमों, ग्लोबल पर्यावरण मानीटरिंग सिस्टम और भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों तथा ऐसी स्कीमों की मानीटरिंग के प्रति किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति;

(ड.) प्राधिकार शुल्क;

(च) उपकर प्रतिपूर्ति और उपकर अपील शुल्क;

(छ) राज्य एनवायरमेंट इमपेक्ट एसेसमेंट अथारिटी द्वारा प्रसंस्करण के लिए प्राप्त शुल्क;

(ज) बोर्ड के पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण जिसमें लाभ कोई अंश शामिल नहीं है और कार्यकलाप का स्वरुप वाणिज्यिक नहीं है, के लिए एकत्रित किया गया शुल्क;

(झ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का आरटीआई अधिनियम) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;

(ञ) जन सुनवाई शुल्क;

(ट) विधान संबंधी पुस्तकों की बिक्री जिसमें लाभ का कोई अंश शामिल नहीं है और कार्यकलाप का स्वरुप वाणिज्यिक नहीं है।

(ठ) बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज;

(ड) विविध आय (पुरानी तथा रद्दी माल की बिक्री से, निविदाओं के शुल्क से प्राप्त आय) और उससे संबंधित अन्य मामले; और

(ढ) जमा राशियों पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना तमिलनाडु पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड की निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की विनिर्दिष्ट आय के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रभावी होगी; अर्थात:-

(i) 'तमिलनाडु पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड' कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में नहीं करेगा;

(ii) 'तमिलनाडु पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड' के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप पूरे वित्त में अपरिवर्तनीय रहेंगे।

(iii) 'तमिलनाडु पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड' अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या ....86....../2014 फा.सं. 196/26/2013-आयकर नि-I]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।